वानीशंकर पिता हीरालाल मृतक के बजायः–
/1:– उमाशंकर पिता स्व. भुवानीशंकर निवासी मण्डावरी तह0 बेगू हाल मु0 देवली
/2:– सीता देवी पत्नि स्व. भुवानीशंकर निवासी मण्डावरी तह0 बेगू हाल मु0 देवली

...........प्रार्थी

– बनाम –

1:– दशरथ पिता उदयराम ब्राह्मण निवासी कांसेडी तह0 गंगरार
2:– राजु पिता उदयराम ब्राह्मण निवासी कांसेडी तह0 गंगरार
3:– श्रीमती रूकमण पुत्री उदयराम पत्नि रामेश्वर ब्राह्मण निवासी कांसेडी हाल मु0 उण्डवा तह0गंगरार
4:– श्रीमती जसोदा पुत्री हीरालाल पत्नी मदनलाल जाति ब्राह्मण हा0मु0 जालखेडी वाया टोकरवाड़ तह0 हुरड़ा
5:– श्रीमान भूमिधारी तहसिलदार सा. बेगूँ
6:– उप–पंजीयक महोदय, बेगूं जिला चित्तौडगढ़
7:–श्रीमती कमलीबाई पत्नी शिवलाल जाति धाकड़ मण्डावरी तह0बेगूं

...........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

प्रार्थना पत्र आ. धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से वकील श्री वी.के चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार किया है कि मोजा मण्डावरी प0ह0 मण्डावरी त0 बेगूॅ की खाता संख्या 419 आराजी न0 9 रकबा 0.4000 है0 भूमि मुझ प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उक्त आराजी 1892/598 , 1916/598 कुल किता 2 कुल रकबा 1.4160 है0 भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित था व 1/2 हिस्सा प्रार्थी की माता सरजुबाई बेवा हिरालाल के नाम पर दर्ज था। जिसकी मृत्यु के बाद विरासत का नामंतरण संख्या 1921 दिनांक 30.04.2011 को सरजुबाई 1/2 हिस्से के बजाय पुत्र भवानीशंकर पुत्री जसोदाबाई एवं मृतक पुत्री दुर्गाबाई के पुत्र दशरथ के नाम पर स्वीकृत किया गया जबकि सरजुबाई की मृतक पुत्री दुर्गाबाई के पुत्र दशरथ के अलावा पुत्र राजु व पुत्री रूकमण और वारीस है लेकिन विपक्षी संख्या 1 दशरथ ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगत कर राजु व रूकमण का नाम नहीं अंकित करवा विपक्षी दशरथ ने अपने अकेले का नाम दर्ज करवाया । जिससे सरजुबाई के 1/2 आधा हिस्से में भवानीशंकर, जसोदाबाई व दशरथ के नाम पर 1/3 ,1/3 हिस्सा दर्ज हुआ। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थी भुवानीशंकर का 1/2 आधा हिस्सा पहले से ही दर्ज था व सरजुबाई के 1/2 आधा हिस्सा में प्रार्थी भुवानीशंकर का 1/3 हिस्सा यानी सम्पुर्ण भूमि में 1/6 हिस्सा प्रार्थी का कुल 2/3 हिस्सा दर्ज हुआ जिस पर प्रार्थी मौके पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर काश्त करता आ रहा है। लेकिन जमाबंदी सम्वत 2068–2071 व गत जमाबंदी सम्वत 2064–2067 में अंकित प्रविष्टीयो का अवलोकन किए बिना ही उक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 2/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा विपक्षी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा अंकित नहीं कर भुवानीशंकर पिता हिरालाल, जसोदाबाई पिता हीरा ,दशरथ माता ,दुर्गाबाई पिता उदयराम ब्राह्मण के नाम शामलाती से दर्ज कर दिया जिस[illegible] विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 4 से जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 में अंकित [illegible] के 3 [illegible] विवादग्रस्त भूमि में प्रत्येक का 1/3 एक तिहाई हिस्सा मानते हुए विपक्षी संख्या 5 से [illegible] ने 1/3 हिस्सा का हक–परित्याग अपने पक्ष में करवा,त्र जिसमें राजस्व रिकार्ड [illegible] 1/3 हिस्सा प्रार्थी का एवं 2/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 का दर्ज कर दिया। इस प्रकार [illegible] संख्या 4 ने अपने [illegible] हिस्से के बजाया 1/3 हिस्से का परित्याग किया जो अपने हक हिस्से से अधिक कराया व रा[illegible]कर्मचारियो ने भी विपक्षी संख्या 1 के 1/6 हक हिस्से के बजाय 1/3 हिस्सा मानते हुए अधिक हिस्सा दर्ज किया है जो प्रार्थी के हक व अधिकार के मुकाबले में अवैध होकर शन्य प्रभावी है इसलिए उक्त विवादग्रस्त भूमि में 2/3 हिस्सा प्रार्थी का है जिसकी वादी घोषणा करवा राजस्व रिकार्ड में दुरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:17:22 IST
Reason: SelfAttested

हक व हिस्से ... दिनांक से उत्पन्न होकर ... विवादग्रस्त भूमि का 2/3 हिस्सा ...
करने की धमकी देने की दिनांक से उत्पन्न होकर चुंकि विवादग्रस्त भूमि का 2/3 हिस्सा
सुवीधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है चुंकि विवादग्रस्त भूमि का 2/3 हिस्सा उसका नाजायज
लेकिन गलत प्रविष्टियों एवं गलत हक–परित्याग के आधार पर जो त्रुटि हुई है उसका नाजायज
फायदा उठाते हुए प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने एवं अन्य व्यक्तियों को
अन्तरण करने पर आमादा है। यदि भूमि का अन्तरण कर दिया जाता है तो अपूर्णिय क्षति प्रार्थी को
हि होगी। अतः मुल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाना न्यायासंगत है । अतः
प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 212 आर.टी.एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के
निस्तारण तक इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि आराजी संख्या 1892/598,
1916/598 कुल किता 2 कुल रकबा 1.4160 है0 भूमि में प्रार्थी के 2/3 हिस्से के उपयोग उपभोग
व काश्त करने में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वयं करें न अन्य से करावे।
मौके से बेदखल नहीं करे अन्तरण भी नहीं करें। विपक्षी संख्या 6 भूमि के अन्तरण बाबत किसी
प्रकार का दस्तावेज पेश होने पर उसका पंजीयन नहीं करें। व विपक्षी संख्या 5 राजस्व रिकार्ड में
किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। मौके रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दर्ज रजीस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरीए सम्मन से तलब किया जाने पर विपक्षी संख्या 1,2,3 की ओर से वकील श्री के. सी. मंत्री द्वारा अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 2 व 4 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया। विपक्षी संख्या 5 व 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत करने पर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर आज दिनांक को बन्द किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 7की ओर जवाब प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वेग तथ्यो पर आधारित होने से प्रथमदृष्टया ही निरस्त योग्य है। वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का हिस्सा 1/3 एवं विपक्षी संख्या 1 का 2/3 से अंकित है जिसमें विपक्षी संख्या 1 ने अपना हिस्सा 2/3 समपूर्ण जरिए पंजिकृत विकृय पत्र दिनांक 22.02.2017 को वाद प्रस्तुती से पूर्व ही विपक्षी संख्या 7 को हस्तान्तरीत कर दिया। उक्त वर्णित अराजीयात स्व. हीरालाल पिता कजोड जी ब्राह्मण की थी। जिनके 1 पुत्र भुवानीशंकर पत्नि सरजुबाई ,पुत्रीया दुर्गाबाई व जसोदा इस प्रकार 4 वारिस थे। जसोदा का देहवासन होने से 3 वारिस समान हक से बने।जिसमें प्रार्थी भुवानीशंकर विपक्षी दशरथ मृतक दुर्गा का पुत्र(मृतक खातेदार हीरालाल का नाती) एवं मृतक खातेदार की पुत्री जसोदा इस प्रकार तीनों यानी प्रार्थी संख्या 1 हिस्सा 1/3 विपक्षी संख्या 1 हिस्सा 1/3 विपक्षी संख्या 4 जसोदा हिस्सा 1/3 बना विपक्षी संख्या 4 ने अपने भांजे विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में अपना निहित हक हिस्सा 1/3 हकत्याग कर दिया जिससे खाते में प्रार्थी का हिस्सा 1/3 एवं विपक्षी संख्या 1 का 2/3 बना जो सही है एवं सही रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकन है। प्रार्थी जो दर्ज से खातेदार के विरूद्ध किसी तरह की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी को कभी कोई धमकी नहीं दी है। राजस्व रिकार्ड में वर्तमान प्रविष्टि सही होकर किसी तरह की अनियमितता नहीं है प्रार्थी का हिस्सा 1/3 हि बनता है एवं 1/3 हिस्सा हि प्रार्थी के कब्जे में है। इससे अधिक हिस्सा न तो प्रार्थी का है एवं न ही प्रार्थी मांग कर सकता है।जिससे प्रार्थी को विरूद्ध विपक्षीगण किसी तरह का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हाने से प्रार्थी के पक्ष में न तो प्रथमदृष्टया प्रकरण बनता है एवं न ही कोई सुविधा का संतुलन है एवं नहीं प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई हानी हाने की संभावना है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात उभय पक्ष की लिखित बहस को ध्यानपूर्वक पढ़ा गया। एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का हमारे द्वारा गहन अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत नकल जमाबंदी नकल हकत्याग पत्र एवं वकील वीपक्षी ने दौराने बहस में नकल जमाबंदी 2044–2047 नकल पंजिकृत हकत्याग व जसोदाबाई नकल नामांतरण 1921 प्रस्तुत कि सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया गया है। ... प्रमुख 3 बिन्दुओं अनुसार किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:17:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रथमदृष्टयाः–

प्रार्थी के अनुसार मौजा ... की आराजी संख्या 1892/598 व 1916/598 कुल किता 2 कुल रकबा 1.4160 है0 भूमि में प्रार्थी के 2/3 हिस्से के उपयोग उपभोग व काश्त में विपक्षीगण बाधा रूकावट उत्पन्न कर रहे है वकील विपक्षी ने अपनी जवाबी लिखत बहस मे निवेदन किया है कि विपक्षी स01ने अपना 2/3हक हिस्सा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुति से पूर्व हि दिनांक 22.2.2017 को विपक्षी स0 7 को हस्तांन्तरित कर दिया है जिसकी जानकारी आ जाने से

यह गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है ! किन्तुं आराजी संख्या1892/598, 916/598 भूमि मे प्रार्थी/विपक्षी के जमाबंदी सम्वंत 2078–2078मे है हमारे द्वारा वर्तमान जमाबंदी मंगवाकर अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/3 व विपक्षी का 2/3 हिस्सा सह खातेदार दर्ज अंकित है जिसका विधिवत बटवारा नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में उक्त आराजियात पर प्रार्थी व विपक्षी प्रत्येक इंच भूमि पर हक हिस्सा है! बटवारे से पूर्व यह नही कहा जा सकता है कि किसका हिस्सा किस भूमि पर होगा। ऐसी स्थिति में किसी भी सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत नहीं है।इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

सुविधा का सन्तुलनः–

प्रकरण के उक्त वर्णित आराजीयात सह खातेदारों की है जिसमें प्रार्थी व विपक्षी सह खातेदार है जिसमें विपक्षी का 2/3 हिस्सा है यदि विपक्षी को उसकी हिस्से की खातेदारी भूमि के लिए किसी प्रकार से पाबन्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि विपक्षी भी रिकार्डेट खातेदार है इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

अपूर्णिय क्षतिः–

उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का हिस्सा 1/3 विपक्षी का हिस्सा 2/3 है जिसमें दोनों हि सह खातेदार है यदि किसी रिकार्डेट खातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जता है तो अपूर्णिय क्षति विपक्षी खातेदार को ही होगी।इस प्रकार अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होती है।

अतः प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दु प्रथमदृष्टया सुविधा का संतुलन व अपुर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 29.08.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:17:22 IST
Reason: SelfAttested